

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.19(04)शिक्षा-2/2019 दिनांक 11/11/2020 द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों/आश्रम छात्रावासों/कार्यालयों में रिक्त पदों पर चयनित निम्नांकित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित स्थानों पर किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः सम्बन्धित सभी नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल उक्त कार्मिकों को पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्त पर पद का नाम	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5
01.	श्री रणवीर सिंह राणावत, शा.शि.	रामावि पहाड़कला, घरट, जिला सिरोही	खेल कोच	खेल छात्रावास, खेल गांव, उदयपुर
02.	श्रीमती रश्मिा द्विवेदी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कारुण्डा, प्रतापगढ़	वरिष्ठ अध्यापिका	ईएमआरएस, कोटड़ा, उदयपुर
03.	श्री नारायण लाल परमार, अध्यापक लेवल-2	राउमावि रावलिया कला गोगुन्दा, उदयपुर	अध्यापक लेवल-2 (अंग्रेजी)	सागवाड़ा, डूंगरपुर
04.	लाली अग्रवाल, अध्यापक लेवल-2	राउमावि, बीलौनी, बसेड़ी, धोलपुर	अध्यापक लेवल-2 (गणित)	मच्छीपुरा (सवाईमाधोपुर)
05.	श्रीमती मधु जैन, अध्यापक लेवल-2	रामावि, सांगरानाडी पटौदी, बाड़मेर	अध्यापक लेवल-2 (हिन्दी)	अमरपुरा (दौसा)
06	श्री कुलदीप भारद्वाज, अध्यापक लेवल-2	राउमावि, सपराव का गुडा, आमेट, राजसमन्द	अध्यापक लेवल-2 (संस्कृत)	अलापुरी रसेरी (भरतपुर)

- नोट:- 1. उपरोक्त कार्मिकों में से यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. उपरोक्त कार्मिकों में से यदि किसी कार्मिक का राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयनोपरान्त पदस्थापन कर दिया गया है तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
3. उपरोक्त कार्मिकों के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना की जावे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13401/आ.विद्यालय(टी.ए.डी)/प्रतिनियुक्ति/2020/21 दिनांक: 23-11-2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को उनके पत्रांक: प.19(04)शिक्षा-2/2019 दिनांक: 11/11/2020 के क्रम में।
- 2- आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 3- संबंधित संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा), संभाग मुख्यालय।
- 4- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा।
- 5- संबंधित मुख्य मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6- प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 7- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
- 8- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)